[2018] 13 एस. सी. आर. 47

ओम प्रकाश अग्रवाल का निर्णय

टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस।

वी.

विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 9051-9052 2018 का)

12 अक्टूबर, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

अधिकार क्षेत्रः

बंगाल, आगरा असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887, विधायी योजना स्पष्ट है कि रुपये के मूल्य तक के छोटे मामले। 1 सिविल जज की अध्यक्षता वाले लघु कारण न्यायालयों और रुपये से अधिक मूल्य वाले मामलों द्वारा एक लाख रुपये का संज्ञान लिया जाना चाहिए। 1 जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा एक लाख। जिला न्यायाधीश जिनके पास लघु कारण न्यायालय की शक्ति है-प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 15 (2) में प्रावधान है कि मुकदमा लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय होगा शब्द संज्ञेय किसी मामले की सुनवाई और निर्णय को अपने दायरे में लेता है-उद्देश्यों और कारणों का बयान आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का कारण बताता है, लेकिन उसमें "संस्था के लिए" शब्दों का उपयोग व्यक्ति की व्यक्त भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

[2018] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैधानिक प्रावधान इस प्रकार, अतिरिक्त। जिला न्यायाधीश के पास नहीं था

वर्तमान मामले का परीक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र-हालांकि, प्रावधान यू/एस को देखते हुए। 21 सी. पी. सी. और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। उस न्यायालय के समक्ष जिला न्यायाधीश, उन्हें संशोधन में इस तरह की आपत्ति उठाने से रोक दिया गया है-इसलिए, भले ही अतिरिक्त न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश मुकदमे का फैसला करने के लिए सक्षम नहीं थे, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इसके फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था-सिविल संहिता

प्रक्रिया, 1908-एसएस। 15 और 21-अनंतिम लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887-बंगाल, आगरा, असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887-उत्तर प्रदेश सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015।

क़ानूनों की व्याख्या:

व्याख्या के नियम-आयोजित: विधायी प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जो उद्देश्य को आगे बढ़ा सके और

अधिनियम का उद्देश्य।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण-कानून की व्याख्या करने के लिए एक सहायता के रूप में आयोजित: कानून के उद्देश्यों और कारणों का विवरण कर सकते हैं विधायी इरादे का पता लगाने के लिए केवल बाहरी सहायता के रूप में देखा जाए

केवल तभी जब अपनी सामान्य भाषा में क़ानून का अर्थ अस्पष्ट और अस्पष्ट हो-उद्देश्यों और कारणों के बयानों में शब्द, वैधानिक प्रावधानों की स्पष्ट भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।

न्यायिक स्वामित्व:

उच्च न्यायालय की स्वामित्व वाली एकल न्यायाधीश पीठों के विरोधाभासी विचार-आयोजित: परस्पर विरोधी दृष्टिकोण देने के बजाय, उच्च न्यायालय द्वारा एक आधिकारिक राय द्वारा निश्चितता प्राप्त करना बेहतर है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 लघु कारण न्यायालयों की परिकल्पना ऐसे न्यायालयों के रूप में की गई थी, जो छोटे कारणों का शीघ्रता से निपटारा कर सकते हैं। न्यायालयों द्वारा छोटे कारणों का निपटारा करने पर विचार किया गया था

उन लोगों की तुलना में प्रक्रिया का पालन करना कम बोझिल है नियमित दीवानी न्यायालयों में लागू। 1972 के यू. पी. अधिनियम संख्या 37 द्वारा, पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने और व्यवसाय की अवधि के संबंध में किराए की वसूली के मामलों को भी छोटे कारणों से लिया गया था, जिन्हें प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की दूसरी अनुसूची के खंड (4) के संशोधन के बाद लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता था।

इस संशोधन ने ओम प्रकाश अग्रवाल के कार्यकाल को आसान बना दिया। LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर.

पट्टेदार। "उपरोक्त संशोधन आवश्यक था क्योंकि सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारणों का न्यायालय केवल पाँच हजार रुपये के मूल्य वाले छोटे कारणों के मुकदमों पर विचार कर सकता था। 1972 के यू. पी. अधिनियम संख्या 37 के संशोधन के अनुसार पाँच हजार रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार को सिविल न्यायाधीशों द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा सकता था, जिन्हें ऐसे मामलों को उठाने के लिए लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नामित किया गया था। जब विधानमंडल ने किसी इमारत से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए सभी मुकदमों को "लघु कारण वाद" के रूप में माना, तो ऐसे मामलों को छोटे कारण के मामलों के रूप में तय करने के लिए एक मंच बनाया जाना था। [पैरा 30] [72-ए-ई]

1.2 धारा 25 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "उनके मूल्य की परवाह किए बिना" स्पष्ट इरादे के साथ थी कि

पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने के लिए दायर किए गए मामलों को छोटे कारणों के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए और एक छोटे कारण के मामले के रूप में निपटा जाना चाहिए। बाद के संशोधन द्वारा, सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालयों को बीस-पाँच हजार रुपये तक के छोटे कारण के मामलों का निर्णय करने का अधिकार मिल गया और पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के खिलाफ बीस-पाँच हजार रुपये से अधिक के मामलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जाना था।

विधायी योजना में मामलों के बीच एक स्पष्ट द्वंद्व है, जिसे छोटे कारणों की अदालतों द्वारा संज्ञान में लिया जा सकता था। सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में और जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में छोटे कारणों के मामलों में। विभाजन रेखा केवल पट्टेदार के खिलाफ पट्टेदार द्वारा मुकदमों से संबंधित छोटे कारणों के मामलों का मूल्यांकन था। जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को छोटे कारणों से संबंधित मामलों का निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता

पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के खिलाफ निष्कासन उपरोक्त इरादे से किया गया था। विधानमंडल का यह कभी इरादा नहीं था कि किसी भी मूल्यांकन के पट्टेदार के खिलाफ पट्टेदार द्वारा किए गए मुकदमों से संबंधित सभी मामले किसी भी लघु कारण न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। [पैरा 30] [72-ई-एच; 73-ए]

1.3 यह सच है कि जिला न्यायाधीश या लघु कारण न्यायालयों के रूप में कार्य करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सभी [2018] 13 एस. सी. आर. का संज्ञान ले सकते हैं।

सूट चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। लेकिन शब्दों का उपयोग

" उनके मूल्य की परवाह किए बिना "आर्थिक मूल्य के विपरीत था, जो सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालयों के न्यायाधीश को दिया गया था। यह तथ्य कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सभी मुकदमों का संज्ञान ले सकते हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, छोटे कारणों के मामलों का संज्ञान लेने में दो अदालतों के बीच अलगाव की रेखा को कम या कमजोर नहीं करेगा। यह उन्हें उन मामलों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त नहीं करेगा, जिन्हें वैधानिक योजना के अनुसार केवल सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली छोटी अदालतों द्वारा लिया जा सकता है। [पैरा 31] [73-बी-सी]

1.4 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अनुसार, रुपये से कम का मुकदमा। 1 लाख का मूल्यांकन लघु में स्थापित किया जाना है।

रुपये के मूल्यांकन तक सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में। 1 लाख और रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले मामले। 1 जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा, जिन्हें शक्ति के साथ निवेश किया गया है लघु कारण न्यायालय। जब तक उपरोक्त विधायी इरादे और योजना का पालन नहीं किया जाता है, तब तक भ्रम और असंगति होगी। विधायी प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जो अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ा सके। जब सिविल न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में छोटे कारणों के मुकदमों का संज्ञान लेने के संबंध में स्पष्ट द्विभाजन हो।

1.5 जब जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय अब छोटे कारणों के मुकदमों का संज्ञान नहीं ले सकता था रुपये से कम। 1 लाख का मूल्यांकन, यह अब ओम प्रकाश अग्रवाल निर्णय में नहीं था।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर.

जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालय की मुकदमा तय करने के लिए आगे बढ़ने की क्षमता

जिसका मूल्य रुपये से कम है। 1 एक लाख। मुकदमों का फैसला करने के लिए मामलों को एक सक्षम अदालत के समक्ष स्थानांतरित करना उचित तरीका था। [पैरा 36] [79-बी-सी]

1.6 प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 का शीर्षक "लघु न्यायालयों द्वारा मुकदमों का संज्ञान" है।

कारण "। धारा 15 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि लघु कारणों का न्यायालय, लघु कारणों के न्यायालय के संज्ञान के अलावा, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मुकदमों का संज्ञान नहीं लेगा। उप-धारा (2) (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू होता है) में प्रावधान है कि नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे जिनका मूल्य 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे लघु कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे। इमारत से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा मुकदमों के संबंध में उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसार पट्टा का निर्धारण, 5,000/- रुपये के संदर्भ को Rs.25,000/- के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। प्रावधान में मुख्य शब्द है "छोटे कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञानात्मक होगा"। 'संज्ञानात्मक' शब्द व्यापक महत्व का शब्द है। यह अपने द्वारा संज्ञेय मामले की संस्था, सुनवाई और निर्णय को अपने दायरे में लेता है। [पारस 38 और 42] [79-ई-जी; 80-जी]

पी. रामनाथ अय्यर द्वारा ब्लैक लॉ डिक्शनरी; एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन-संदर्भित।

1.7 जब कानून में सादा शब्द अर्थात धारा 15 (2) "संज्ञेय" "उद्देश्यों और कारणों के बयान" "का उपयोग करता है जो" संस्था "शब्द का उपयोग करता है, तो धारा 15 (2) में उपयोग किया गया" संज्ञेय "शब्द कम नहीं होगा। यह सच है कि उद्देश्यों के बयान में देखा गया है कि अदालतों में लाए गए विषय मामलों का मूल्य काफी बढ़ गया है, इसलिए, दीवानी मुकदमों और अपीलों की स्थापना के लिए दीवानी न्यायालयों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य में लघु कारण न्यायालयों की आर्थिक अधिकारिता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संशोधन ने प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 में आर्थिक सीमाओं को बढ़ा दिया है। का बयान

उद्देश्य और कारण आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का कारण बताते हैं लेकिन उद्देश्य के कथन में 'संस्था के लिए' शब्द का उपयोग वैधानिक प्रावधानों की स्पष्ट भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। [पारस 42 और 43] [81-ए, ई, एफ] [2018] 13 एस. सी. आर.

1.8 कानून के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को विधायी इरादे का पता लगाने के लिए केवल बाहरी सहायता के रूप में देखा जा सकता है।

केवल तभी जब क़ानून का सामान्य भाषा में अर्थ अस्पष्ट और अस्पष्ट हो। [पैरा 44] [81-जी]

1.9 उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के उद्देश्य का विवरण इस प्रकार संशोधन लाने का कारण बताता है आर्थिक अधिकारिता बढ़ाने के लिए लेकिन उद्देश्य के विवरण में उपयोग किया जाने वाला शब्द 'संस्था' व्यक्त किए गए अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करेगा।

धारा 15 की भाषा। [पैरा 46] [82-एफ-जी]

1.10 धारा 15 में प्रयुक्त 'संज्ञान' पद का अर्थ होगा और इसमें मामले की संस्था, सुनवाई और निर्णय शामिल होंगे।

जब कानून यह प्रावधान करता है कि किसी विशेष कारण का संज्ञान किसी विशेष अदालत द्वारा लिया जाना है, तो कोई अन्य अदालत इस कारण का संज्ञान नहीं ले सकती है, क्योंकि विधायिका कभी भी इसका निर्माण या प्रावधान नहीं करती है।

किसी कारण का संज्ञान लेने के लिए दो अलग-अलग न्यायालयों में समानांतर अधिकार क्षेत्र। जब धारा 15 में प्रावधान किया गया है कि नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे जिनका मूल्य रुपये से अधिक नहीं है। 25,000 / " छोटे कारणों के न्यायालयों द्वारा संज्ञेय होगा ", संज्ञान उसी न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और कोई अन्य न्यायालय नहीं। [पैरा 46] [82-जी-एच; 83-ए]

1.11 उप-धारा (2) के परंतुक में प्रावधान है कि 5,000/- रुपये का आंकड़ा Rs.25,000/- माना जाएगा। यू. पी. सिविल कानूनों द्वारा

(संशोधन) अधिनियम, 2015, रुपये का आंकड़ा। 25,000 / - 1 लाख रुपये से प्रतिस्थापित किया गया। परंतुक के साथ पठित उप-धारा (2) और यू. पी. सिविल कानून (संशोधन अधिनियम), 2015 को पढ़ने का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि 1 लाख रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले लघु कारण वाद लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे। [पैरा 47] [83-बी-सी] 1.12 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिन्हें छोटे कारणों के मुकदमे का हस्तांतरण किया गया था क्योंकि इसका मूल्यांकन उससे अधिक था

Rs.25,000/- यू. पी. सिविल कानून (संशोधन अधिनियम), 2015 w.e.f.07.12 के बाद मुकदमे का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं था। 2015 , जब विचाराधीन वाद लघु कारण न्यायालय अर्थात सिविल न्यायाधीश न्यायालय, वरिष्ठ प्रभाग द्वारा संज्ञेय हो गया। [पैरा 47] [83-सी-डी]

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। एम. P.Gupta (2004) 2 एससीसी 349: 2003 (6) पूरक। एस. सी. आर. 541; एस. एस. बोला बनाम बी. डी. सरदाना (1997) 8 एस. सी. सी. 522: [1997] 2 पूरक। एस. सी. आर. 507; सुभा राम बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 506: [2002] 4 पूरक। एससीआर 65; भाईजी बनाम।

उप-मंडल ओम प्रकाश अग्रवाल का कार्यकाल तीन से शुरू हुआ। LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर.

अधिकारी, (2003) 1 एस. सी. सी. 692 [2002] 5 पूरक। एससीआर 116

पर भरोसा किया।

पंकज होटल बनाम बाल मुकुंद, (2018) 1 ए. एल. जे. 2017-स्वीकृत नहीं।

शोभित निगम बनाम श्रीमती. बटुलन और 2016 का एक अन्य एस. सी. सी. संशोधन संख्या 278-आंशिक रूप से अनुमोदित।

एम पी मिश्रा बनाम संगम लाल अग्रवाल, आकाशवाणी 1975

इलाहाबाद 425 का उल्लेख किया गया।

2.1 सिविल संहिता की धारा 21 में अंतर्निहित नीति

प्रक्रिया यह है कि जब किसी अदालत द्वारा मामले की सुनवाई गुण-दोष और दिए गए निर्णय के आधार पर की जाती है, तो इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर उलट दिया जाना चाहिए, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हो। धारा 21 के समान प्रावधान भी हैं -

मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में निहित है। [पैरा 50] [84-ई-एफ] 2.2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले से यह स्पष्ट है कि मामले का फैसला करने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की क्षमता पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 लागू हो जाती है। धारा 21 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि न्यायालय की क्षमता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं

उसमें पूरा किया जाता है। उप-धारा (2) संशोधनवादी को न्यायालय की क्षमता के संबंध में कोई भी आपत्ति उठाने से रोकती है और आगे पुनरीक्षण न्यायालय को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की क्षमता के संबंध में ऐसी आपत्ति की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी

सूट तय करें। प्रत्यर्थी किरायेदार ने न्यायालय की क्षमता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई और गुण-दोष के आधार पर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का मौका लिया, उसे पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और तर्क दिया जा सकता है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत को लघु कारण मुकदमे का मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और निर्णय अधिकार क्षेत्र और शून्यता के बिना है। धारा 21 को असफल पक्ष द्वारा ऐसी किसी भी आपत्ति को विफल करने के लिए अधिनियमित किया गया है जिसने अदालत की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई और अनुमति दी

गुण-दोष पर सुनवाई की जाने वाली बात। इसके अलावा, छोटे कारण (2018) को तय करने में 13 एस. सी. आर.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दायर मुकदमे में, किरायेदार ने यह साबित नहीं किया है कि न्याय की परिणामी विफलता हुई है।

[पैरा 56] [88-जी-एच; 89-ए-डी]

2.3 उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को स्वीकार नहीं किया है। धारा 21 में एक विधायी नीति है जिसका एक उद्देश्य और उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य तकनीकी आपत्तियों के आधार पर योग्यता के आधार पर मामलों की पुनः सुनवाई से बचना भी है। [पैरा 57] [89-ई] 2.4 धारा 21 विधायी नीति की वैधानिक मान्यता है जिसे किसी प्रतिकूल निर्णय को चुनौती देने वाले वादियों द्वारा नजरअंदाज या अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को ध्यान में रखे बिना प्रत्यर्थी किरायेदार द्वारा दायर संशोधन की अनुमति देने में त्रुटि की। [पारस 59 और 61] [90-बी, डी]

वी. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड (2005) 7 एससीसी 791: [2007] 4 एस. सी. आर. 150; सुभाष महादेव हबीब बनाम। नेमासा अंबास धर्मदास (2007) 13 एस. सी. सी. 650: [2007] 4 एस. सी. आर. 150-पर निर्भर। तेजुमल बनाम. मोहम्मद. सरफराज, 2017 (121) एएलआर 392-नहीं

स्वीकृत किया गया।

हीरालाल बनाम। कालीनाथ और ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 634, बहरीन पेट्रोलियम कंपनी बनाम। पी. जे. पप्पु और एक और आकाशवाणी (1962)

एससी 199 [1962] एससीआर 747-संदर्भित।

3. इस प्रकार तब भी जब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत इस आधार पर लघु कारणों के मुकदमे का फैसला करने में सक्षम नहीं थी कि आर्थिक अधिकार क्षेत्र न्यायालय में निहित है

लघु कारणों से सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

[पैरा 62] [90-ई] ओम प्रकाश अग्रवाल से पहले निर्णय लिया गया था। एलआरएस। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर.

4. किसी अधिकारी द्वारा निश्चितता प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है।

विभिन्न एकल न्यायाधीशों द्वारा परस्पर विरोधी विचार देने के बजाय उच्च न्यायालय की राय जो वादियों को भ्रमित कर सकती है, कानूनी और कानून को लागू करने में अदालतों को उप-नियुक्त करें। [पैरा 48] [83-एफ]

मामला कानून संदर्भ

2016 का एस. सी. सी. संशोधन संख्या 278 आंशिक रूप से अनुमोदित

पै

रा 2

(2018) 1 एएलजे 2017

मंजूरी नहीं मिली

पै

रा 2

आकाशवाणी 1975 इलाहाबाद 425

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[2003] 6 पूरक। एससीआर 541

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[1997] 2 पूरक। एससीआर 507

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

[2002] 4 पूरक। एससीआर 65

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

[2002] 5 पूरक। एससीआर 116

उस पर भरोसा करें

पै

रा 45

[1955] एससीआर 117

उस पर भरोसा करें

पै

रा 50

[1962] एससीआर 747

पै

रा 52

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर 455

उस पर भरोसा करें

पै

रा 53

[2007] 4 एससीआर 150

उस पर भरोसा करें

पै

रा 54

मंजूरी नहीं मिली

पै

रा 58

2017 (121) एएलआर 392

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 90

9052 2018 का

उच्च न्यायालय के 07.12.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एस. सी. सी. संशोधन सं. में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 404 और 2 में से 407

ए. के. सिंगला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिद्धार्थ मित्तल, नयन नेपाल, के. सिंग

पंकज गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

कन्हैया सिंघल, एस. यू. खान, प्रवीण जैन, एस. के. त्यागी, ए.

उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
अशोक भूषण, जे. 1. इन याचिकाओं को दायर किया गया है

अपीलार्थी (मकान मालिक), प्रत्यर्थियों (किरायेदार) द्वारा दायर लघु कारण न्यायालय संशोधन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा पारित बेदखली के आदेश को चुनौती देना। इन अपीलों में जो मुद्दा उठा है, वह 22.10.2016 पर लघु कारणों के मुकदमे का निर्णय लेने में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

2. इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए

ये हैं:

अपीलार्थी, विचाराधीन परिसर के मकान मालिक ने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), लघु कारण न्यायालय, फिरोजाबाद के न्यायालय में 2008 का लघु कारण मुकदमा संख्या 1 दायर कर बेदखली, किराया और हर्जाने के आदेश के लिए प्रार्थना की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश द्वारा, मुकदमे को जिला न्यायाधीश, फिरोजाबाद के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और 2010 के एस. सी. सी. मुकदमा संख्या 1 के रूप में पंजीकृत किया गया था। एक न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय का आर्थिक अधिकार क्षेत्र, जो मुकदमा दायर करने के समय रु। 25,000 / - इसे Rs.25,000/- से बढ़ाकर रु। 1 उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से डब्ल्यू. ई. एफ. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिसे मुकदमा पहले इस आधार पर हस्तांतरित किया गया था कि मुकदमे का आर्थिक अधिकार क्षेत्र रुपये से अधिक है। 25,000 / - अर्थात।

Rs.27,775/-, अपने निर्णय और दिनांक 22.10.2016 के आदेश और बेदखली, किराया और वाद के माध्यम से मुकदमे का फैसला करने के लिए आगे बढ़े।

मुआवजे की घोषणा की गई। ए. डी. एल. के फैसले से व्यथित। जिला न्यायाधीश, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 के तहत पुनरीक्षण किरायेदार (इस अपील के प्रतिवादियों) द्वारा दायर किया गया था। संशोधन में लिए गए आधारों में से एक यह था कि उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास किसी मूल्य के पट्टेदार और पट्टेदार के बीच मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

रु. तक। 1 एक लाख। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकारिता की उसके बाद की धारणा अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

22.10.2016 के फैसले को चुनौती देने के लिए कुछ अन्य आधार भी लिए गए थे। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 07.12.2016 के विवादित फैसले के माध्यम से लघु कारण न्यायालय के संशोधन की अनुमति दी, यह देखते हुए कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश ओम प्रकाश अग्रवाल से पहले पारित किया गया था।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

उत्तर प्रदेश सिविल कानूनों को देखते हुए अधिकार क्षेत्र के बिना

(संशोधन) अधिनियम, 2015 डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015, किस तारीख के बाद,

Rs.27,775/- के मूल्यांकन के मामले का निर्णय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) द्वारा किया जा सकता था जो न्यायाधीश लघु कारण न्यायालय के रूप में काम कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने 2016 के एस. सी. सी. संशोधन संख्या 278-शोभित निगम बनाम में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया। श्रीमती. बतुलन और दूसरे ने 29.08.2016 पर फैसला किया। उच्च न्यायालय ने एक सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालय द्वारा एक नए निर्णय के लिए संशोधन को वापस भेज दिया। उक्त निर्णय से व्यथित मकान मालिक इस अपील में आया है।

3. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ए. के. सिंगला ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने संशोधन की अनुमति देने में त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015 ने केवल अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है

सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015 में "संज्ञान" शब्द का उपयोग किया गया है। यदि कोई वाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय है तो न्यायालय को न केवल वाद प्राप्त करने का बल्कि वाद पर निर्णय लेने का भी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय को न केवल वाद पत्र प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, बल्कि वह छोटे कारणों के मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए भी सक्षम नहीं था, जिसका मूल्यांकन 500 करोड़ रुपये तक है। 1 एक लाख। शोभित निगम के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत, उच्च न्यायालय द्वारा पंकज होटल बनाम बाल मुकुंद, (2018) 1 ए. एल. जे. 2017 में लिया गया दृष्टिकोण है। आर्थिक अधिकारिता के सिद्धांत और आपत्तियाँ धारा 21 (2) में अनुध्यात वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं है। शोभित निगम के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन [2018] 13 एस. सी. आर. तक नियमित न्यायाधीश लघु कारण अदालत के मुकदमों के स्थानांतरण के लिए एक सामान्य निर्देश जारी किया था।

से रु. 1 सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) को एक लाख रुपये। वह प्रस्तुत करता है कि विशेष अनुमति याचिका खारिज की जानी चाहिए।

5. पक्षों के लिए विद्वान वकील की उपरोक्त प्रस्तुतियों और अभिलेख पर अभिवचनों से, निम्नलिखित मुद्दे हैं, जो उत्पन्न होते हैं

इस अपील पर विचार:

चाहे उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम,

आई.

2015 प्रकृति में केवल संभावित है और केवल सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) डब्ल्यू. ई. एफ. के न्यायालय में मुकदमों की नई संस्था तक सीमित है। 1 एक लाख रुपये तक के लंबित मुकदमों के संज्ञान/सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगा। रु. का मूल्यांकन। 1 जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित एक लाख?

ii. चाहे जिला न्यायाधीश का न्यायालय हो या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,

कौन सा न्यायालय Rs.25,000/- डब्ल्यू. ई. एफ. से अधिक के मूल्यांकन के लघु कारणों के मुकदमे के अधिकार क्षेत्र में निहित था। 08.02.1991 रुपये तक के मूल्यांकन के छोटे कारणों के मुकदमों पर आर्थिक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना बंद कर देगा या अभी भी कर सकता है। 1

एक लाख?

क्या उत्तरदाताओं (किरायेदारों) ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है

iii.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में

जहां उत्तर प्रदेश सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा किए गए संशोधनों के बाद मुकदमा लंबित था, वहां प्रत्यर्थी (किरायेदार) सिविल संहिता की धारा 21 को देखते हुए अपने दिनांक 22.10.2016 के फैसले के माध्यम से मुकदमे का फैसला करने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की क्षमता पर सवाल उठाने से वंचित है।

प्रक्रिया, 1908 की धारा 25 के तहत दायर संशोधन में

प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम?

6. इससे पहले कि हम इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न हुए मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, प्रासंगिक वैधानिक का उल्लेख करना उपयोगी है।

7. दो अधिनियम अर्थात् (i) बंगाल, आगरा, असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 और (ii) प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887, में दीवानी न्यायालयों के गठन, अधिकार क्षेत्र के संबंध में पारित किए गए थे। तत्कालीन उत्तर-पश्चिमी प्रांतों दोनों को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.1887 लागू किया जा रहा था। बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 को बंगाल में सिविल न्यायालयों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

उत्तर-पश्चिमी प्रांत और असम। अधिनियम की धारा 3 सिविल न्यायालयों के गठन का प्रावधान करती है। धारा 4 जिला न्यायाधीशों, अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुन्सिफों की संख्या से संबंधित है। धारा 17 उन न्यायालयों की कार्यवाही को जारी रखने से संबंधित है जिनकी अधिकारिता समाप्त हो गई है। धारा 18 जिला या अधीनस्थ न्यायाधीश की मूल अधिकारिता के विस्तार से संबंधित है (उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, "अधीनस्थ" शब्द को "सिविल" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया था)। धारा 19 मुन्सिफ की अधिकारिता के विस्तार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य में लागू धारा 19 को 1991 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो निम्नलिखित था:

प्रभाव:

" 19 (1) जैसा कि ऊपर कहा गया है, और उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मुन्सिफ की अधिकारिता सभी के समान मुकदमों तक फैली हुई है - जिसका मूल्य दस हजार रुपये से अधिक नहीं है।

(2) उच्च न्यायालय आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें नामित किसी भी मुन्सिफ के संबंध में निर्देश दे सकता है कि उसका अधिकार क्षेत्र

ऐसे मूल्य के सभी समान सूट बीस से अधिक नहीं होंगे।

पाँच हजार रुपये जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

8. धारा 25 अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुन्सिफ को लघु कारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निवेश करने की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 25 के रूप में

उत्तर प्रदेश राज्य में लागू निम्नानुसार है:

" [25. [1] उच्च न्यायालय आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जो वह उचित समझे, प्रदान कर सकता है - कोई सिविल न्यायाधीश या मुन्सिफ, किसी के न्यायाधीश की अधिकारिता

न्यायालय अधिनियम, 1887 द्वारा संज्ञेय मुकदमों के विचारण के लिए पाँच हजार रुपये से अधिक के मूल्य तक के न्यायालय

जैसा कि वह उचित समझता है, और किसी भी अधिकार क्षेत्र को वापस ले सकता है

सम्मानित किया गया:

बशर्ते कि संदर्भित प्रकृति के सूट के संबंध में

उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के परंतुक में, इस उप-धारा में पाँच हजार रुपये के संदर्भ का अर्थ पच्चीस हजार रुपये के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

रुपये।]

[(2) उच्च न्यायालय, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को लघु कारणों के न्यायालय [2018] 13 एस. सी. आर. के न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकता है।

प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 के तहत, सभी मुकदमों (उनके मूल्य की परवाह किए बिना) के मुकदमे के लिए, पट्टेदार द्वारा पट्टे के निर्धारण के बाद किसी इमारत से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए, या उससे किराए की वसूली के लिए - के जारी रहने के दौरान उसके कब्जे की अवधि

उपयोग और व्यवसाय के लिए पट्टा या क्षतिपूर्ति

पट्टा जारी रखने या मुआवजे के दौरान

इस तरह के निर्धारण के बाद इसके उपयोग और व्यवसाय के लिए

पट्टा का, और इस प्रकार प्रदत्त किसी भी अधिकार क्षेत्र को वापस ले सकता है।

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

'निर्माण' अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद (4) में है।]

[(3)] x x x]

[(4) जहाँ लघु न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता

अतिरिक्त न्यायाधीश के किसी भी जिला न्यायाधीश को कारण दिए जाते हैं।

जिला न्यायाधीश धारा के तहत अधिसूचना द्वारा, तब,

धारा 15 में किसी बात के होते हुए भी

प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सभी वाद लघु न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।

कारण।] "

9. प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 को छोटे कारणों की अदालतों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। प्रेसीडेंसी शहर से परे स्थापित। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम 1887 को "लघु कारणों" से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य एक अलग अदालत का निर्माण करना था

छोटे-छोटे कारणों से निपटना। स्पष्ट रूप से उद्देश्य यह था कि छोटे कारणों से शीघ्रता से निपटा जा सकता है। छोटे कारणों से निपटने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया की भी परिकल्पना की गई थी। प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, 1882 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहले से ही लागू था। इस देश में, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम 1887 के अधिनियमित होने से पहले, एक ही उद्देश्य के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग कानून लागू थे, यानी छोटे कारणों के मामलों को प्रभावी ढंग से और संक्षेप में निपटाने के लिए। प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम 1887 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित प्रभाव से था:

" छोटे कारणों के न्यायालयों में संज्ञेय मुकदमे निम्नलिखित के अधीन हैं -

1865 के अधिनियम XI की धारा 6 में वर्णित कुछ प्रावधान, "बांड या अन्य अनुबंध पर देय धन के लिए, या किराए के लिए, या व्यक्तिगत 1 प्रकाश अग्रवाल के लिए दावे।

LRS.v। हान दयाल राजपूत और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

संपत्ति, या ऐसी संपत्ति के मूल्य के लिए, या नुकसान के लिए, जब

ऋण, क्षति या मांग राशि या मूल्य से अधिक नहीं है।

पाँच सौ रुपये की राशि चाहे खाते की शेष राशि पर हो या

अन्यथा "और सेक। 586 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रदान करती है

कि "कोई दूसरी अपील संज्ञेय प्रकृति के किसी भी मुकदमे में नहीं होगी

लघु कारणों के न्यायालयों में, जब राशि या मूल्य मूल सूट का विषय-वस्तु पाँच सौ से अधिक नहीं है।

रुपये "। 1865 के अधिनियम की धारा 6 के अधिनियमित होने के बाद से, एक विशाल

मामले की मात्रा-कानून इसके चारों ओर बढ़ा है, और, के फैसलों के रूप में

न्यायालय एक समान नहीं रहे हैं, इस पर लगातार संदेह उत्पन्न होते हैं

सवाल यह है कि क्या कोई सूट प्रकृति का संज्ञानात्मक सूट है या नहीं

लघु कारणों के न्यायालय द्वारा, और, परिणामस्वरूप, चाहे या नहीं,

जहाँ सूट का मूल्य पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं है और

इसमें दी गई मूल डिक्री अंतिम नहीं थी, लेकिन अपील के लिए खुली थी।

मुक़दमे में अपीलीय डिक्री से भी एक अपील होगी। यह.

भारत सरकार को प्रतीत होता है कि परस्पर विरोधी

धारा 6 पर रखे गए निर्माण, जिनमें से कुछ के कारण हैं

पिछले बीस वर्षों के दौरान कानून की प्रगति (आईएलआर 3 सभी 66),

जिनके सूट की अधिक सटीक परिभाषा आवश्यक है

छोटे कारणों के न्यायालय संज्ञान ले सकते हैं, और वह कानून

इसके लिए प्रेसीडेंसी की धारा 18 और 19 का पालन करना चाहिए।

लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1882, उन लोगों की अधिकारिता घोषित करने में

न्यायालयों का सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों तक विस्तार, विनिर्दिष्ट के अधीन

अपवाद। यह विधेयक तदनुसार तैयार किया गया है, इसका प्राथमिक

के प्रभाव के बारे में अब महसूस की गई शंकाओं को दूर करने का उद्देश्य

धारा 6,1865 का अधिनियम XI; और, कई धाराओं और भागों के रूप में

उस अधिनियम की धाराओं को समय-समय पर निरस्त किया गया है और

अभिव्यक्ति और उपयोगिता दोनों के संबंध में अन्य खंड अप्रचलित हैं, अधिनियम को निरस्त करना और फिर से अधिनियमित करना वांछनीय माना गया है

इसके विद्यमान भागों का सार।

का

राजपत्र

भारत, 1886, भाग 5, पृष्ठ 8 "।

10. ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने "छोटे दावों की अदालत" का उल्लेख किया है।

एच ने इसे निम्नलिखित तरीके से समझाया:

" एक अदालत जो अनौपचारिक रूप से और तेजी से निर्णय लेती है, दावा करती है कि

एक निर्दिष्ट मौद्रिक राशि, यू. एस. यू. से कम के नुकसान की मांग करें। दावा करता है कि

छोटे खाते या ऋण एकत्र करें। इसे लघु-ऋण न्यायालय भी कहा जाता है।

सुलह अदालत। "[2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स से वर्णित उद्देश्य छोटे दावों के लिए त्वरित तंत्र प्रदान करना था। इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 17 हॉल कारण न्यायालय अधिनियम के आधार पर लागू होती है, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता स्वयं आर एल में विभिन्न नियमों को छोड़कर एक सरल प्रक्रिया प्रदान करती है और

छोटे कारणों के मामलों के लिए सी. पी. सी. सी. पी. सी. का ऑर्डर एल इस प्रकार है

वीएसः

" 1. प्रांतीय लघु कारण न्यायालय-इसके बाद विनिर्दिष्ट प्रावधान प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) [या बरार लघु कारण न्यायालय कानून, 1905 के तहत गठित न्यायालयों] या लघु कारण न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों [उक्त अधिनियम या कानून के तहत], [या [भारत के किसी भी हिस्से में न्यायालयों, जिसमें उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं होता है] के अनुरूप अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों तक विस्तारित नहीं होंगे।

कहो ((क) इस अनुसूची का जितना हिस्सा संबंधित है -

((i) छोटे कारणों के न्यायालय के संज्ञान या ऐसे मुकदमों में फरमानों के निष्पादन को छोड़कर मुकदमे;

((ii) अचल संपत्ति के विरुद्ध आदेशों का निष्पादन या

साझेदारी संपत्ति में भागीदार का हित;

((ग) मुद्दों का समाधान; और

ख) निम्नलिखित नियम और आदेशः

आदेश II, नियम 1 (मुक़दमे की रूपरेखा);

आदेश एक्स, नियम 3 (पक्षों की परीक्षा का रिकॉर्ड);

आदेश XV, नियम 4 के इतने सारे प्रावधानों को छोड़कर

निर्णय के तुरंत बाद घोषणा;

आदेश XVIII, नियम 5 से 12 (साक्षय);

एक्सएलआई से एक्सएलवी (अपील) का आदेश;

आदेश XLVII, नियम 2,3,5,6,7 (समीक्षा);

ऑर्डर LI "।

12. धारा 5 राज्य सरकार द्वारा लघु कारण न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रदान की गई है। अधिनियम का अध्याय III "छोटे कारणों के क्षेत्राधिकार" से संबंधित है। अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है:

- मैं प्रकाश अग्रवाल से पहले निर्णय लिया था। LRS.v। हान दयाल राजपूत और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

15. लघु कारणों के न्यायालयों द्वारा मुकदमों का संज्ञान-(1) लघु कारणों का न्यायालय दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मुकदमों का संज्ञान नहीं लेगा जैसा कि संज्ञान से अपेक्षित है। छोटे कारणों का न्यायालय।

(2) उस अनुसूची में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन और

तत्काल प्रवृत्त किसी अधिनियम के प्रावधानों के लिए, नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे जिनका मूल्य अधिक नहीं है।

पाँच सौ रुपये छोटे न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।

कारण।

(3) उपरोक्त विषय के अधीन, [राज्य सरकार], लिखित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे जिनमें से -

मूल्य एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा में उल्लिखित छोटे कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञेय

आदेश "।

13. उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का यू. पी. संख्या 37) को उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा संभावित सहमति के साथ अधिनियमित किया गया था। 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 7 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जो योजना को समझने के लिए प्रासंगिक हैं और संशोधन के अन्य पहलू निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" तरजीही टिप्पणी-उद्देश्यों और कारणों का विवरण। (1) प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887, मुकदमों के मुकदमे में एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके अलावा, निर्णय

ऐसे न्यायालय अपील योग्य नहीं हैं, और केवल एक संशोधन प्रदान किया गया है।

हालाँकि ऐसे न्यायालय मुकदमों का संज्ञान नहीं ले सकते हैं

अचल संपत्ति का अधिकार। हाल के एक संशोधन द्वारा

यू. पी. शहरी भवन (विनियमन) की धारा 20 (6) में निहित

किराया, किराया और बेदखली) अधिनियम, 1972 (1972 का यू. पी. अधिनियम XIII), किरायेदार के खिलाफ उसकी किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के मुकदमे

इस अपवाद के दायरे से बाहर कर दिया गया है और छोटे कारण न्यायालयों द्वारा संज्ञेय बना दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस तरह के सूट में मुद्दे आमतौर पर सरल होते हैं। ऐसे मामलों में

जहां स्वामित्व का सवाल मुद्दा बनता है, एक छोटी कारण अदालत को नियमित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए शिकायत को वापस करने की शक्ति होती है। अब 1972 के यू. पी. अधिनियम XIII से उपरोक्त संशोधन को हटाने का प्रस्ताव है, और इसके बजाय, एक व्यापक संशोधन को शामिल करने का प्रस्ताव है।

प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 में सीधे संशोधन, ताकि सभी इमारतें, न कि केवल वे इमारतें जो [2018] 13 एस. सी. आर.

1972 के यू. पी. अधिनियम XIII द्वारा शासित हैं, जिससे कवर किए जा सकते हैं।

यह आगे प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे मुकदमों के संबंध में साधारण

छोटे कारणों की अदालतों को मामलों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र दिया जा सकता है।

रुपये तक का मूल्य। 5,000 (इसके बजाय केवल रु। 2,000 कुछ में

उच्च मूल्य के मामलों का निर्णय जिला न्यायाधीशों द्वारा किया जा सकता है छोटे कारणों के न्यायाधीशों के रूप में, और ऐसे निर्णयों के खिलाफ संशोधन

छोटे कारणों के अन्य न्यायालयों के निर्णय झूठ बोलना जारी रख सकते हैं जिला न्यायाधीश।

XXXXXX "

XXXXXX

14. धारा 15 (1) के अनुसार, लघु कारणों का न्यायालय नहीं था

दूसरे में निर्दिष्ट मुकदमों का संज्ञान लेने के लिए

युगल। अधिनियम की दूसरी अनुसूची का खंड (4) था -

पंखों का प्रभाव:

" (4) अचल संपत्ति के कब्जे के लिए या के लिए एक मुकदमा

ऐसी संपत्ति में ब्याज की वसूली;

15. 1972 के अधिनियम संख्या 37 द्वारा धारा 15 में संशोधन किए गए थे,

अधिनियम की 25 और दूसरी अनुसूची पर। 1972 के अधिनियम संख्या 37 की धारा 2,3 और 4 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 2. 1887 के अधिनियम IX की धारा 15 का संशोधन। - खंड में

15 प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887, जिसमें संशोधन किया गया है।

उत्तर प्रदेश में इसका आवेदन, इसके बाद के रूप में संदर्भित

मूल अधिनियम, उप-धारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक होगा -

सम्मिलित किया गया, अर्थात्:

" बशर्ते कि बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा मुकदमों के संबंध में

किसी भवन से पट्टेदार का पट्टा निर्धारित होने के बाद,

या उससे अवधि के संबंध में किराए की वसूली के लिए

पट्टा जारी रखने के दौरान उसका व्यवसाय, या

इसके बाद इसके उपयोग और व्यवसाय के लिए क्षतिपूर्ति

पट्टे का निर्धारण, इस उप-धारा में दो के लिए संदर्भ

हजार रुपये को पाँच के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। एक हजार रुपये।

स्पष्टीकरण। — इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

'भवन' अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो अनुच्छेद (4) में है।

दूसरी अनुसूची "। एम. प्रकाश अग्रवाल ने अपना कार्यकाल पूरा करने का निर्णय लिया। LRS.v। हान दयाल राजपूत और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

3. 1887 के अधिनियम IX की धारा 25 का संशोधन। — खंड में

25 मूल अधिनियम का निम्नलिखित परंतुक होगा -

सम्मिलित किया गया, अर्थात्:

के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लघु कारणों के न्यायाधीश, इस धारा के तहत संशोधन की शक्ति

उच्च न्यायालय में निहित होगा। "

4. 1887 के अधिनियम IX में दूसरी अनुसूची का संशोधन। मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, अनुच्छेद (4) के लिए -

निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

ऐसी संपत्ति में ब्याज की वसूली, लेकिन एक मुकदमा शामिल नहीं किसी भवन से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा

उसके पट्टे का निर्धारण, और उससे वसूली के लिए

उसके बाद उस भवन के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजा

पट्टे का ऐसा निर्धारण। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

' भवन, जिसका अर्थ है आवासीय या गैर-आवासीय छत वाला भवन।

और बाहर के घर, इस तरह की इमारत के लिए संगत, और भी शामिल हैं अधिक के लिए इमारत में चिपकाई गई कोई भी फिटिंग और फिक्स्चर

बिनि मुलाम्फागोनां रंजानाय।

16. एक और संशोधन, जो यू. पी. अधिनियम सं.

1972 बंगाल, आगरा और असम की धारा 25 में संशोधन किया गया था

न्यायालय अधिनियम, जो अधिनियम की धारा 5 द्वारा बनाया गया था,

प्रभाव को कम करना:

" 5. 1887 के अधिनियम बारहवीं की धारा 25 का संशोधन। — अनुभाग

उत्तर प्रदेश में इसके आवेदन में संशोधन को पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

उसकी उप-धारा (1) के रूप में, और -

(i) उप-धारा (1) में, जैसा कि इस प्रकार पुनः क्रमांकित किया गया है, मौजूदा परंतुक के लिए,

निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

उक्त की धारा 15 की उप-धारा (3) के परंतुक में इस उप-धारा में दिए गए संदर्भों को एक हजार पर लागू करें।

और पाँच सौ रुपये को क्रमशः पाँच हजार रुपये और एक हजार रुपये के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

रुपये।"

((ii) उप-धारा (1) के बाद, जैसा कि पुनः क्रमांकित किया गया है, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:

" (2) राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 के तहत सभी मुकदमों (उनके मूल्य की परवाह किए बिना) की सुनवाई के लिए छोटे कारणों के न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकती है। उसके पट्टे का निर्धारण, या पट्टे के जारी रहने के दौरान उसके कब्जे की अवधि के संबंध में उससे किराए की वसूली के लिए या पट्टे के ऐसे निर्धारण के बाद उसके उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे के लिए,

और इस प्रकार प्रदत्त किसी भी अधिकार क्षेत्र को वापस ले सकता है। स्पष्टीकरण इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, 'भवन' अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो अनुच्छेद (4) में है।

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची।

(3) राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालय को इसके तहत अपनी शक्तियां सौंप सकती है।

अनुभाग "।

17. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है, लघु कारण न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुन्सिफ के न्यायालय [जिसे अब सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के रूप में जाना जाता है] और सिविल न्यायाधीश [जिसे अब सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में नामित किया गया है] दोनों में निहित होना था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लघु कारणों के न्यायालय को केवल विशेष आर्थिक क्षेत्राधिकार वाले छोटे कारणों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया था। बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 ने अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार को किसी भी अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुन्सिफ को लघु कारण न्यायालय की अधिकारिता के साथ मुकदमों के मुकदमे और अधिनियम में निर्धारित मूल्य तक ऐसे मुकदमों के संज्ञान के लिए प्रदान करने का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होने वाले बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887 की धारा 25 में संशोधन किया गया है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, जहां बंगाल,

आगरा और असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887 की धारा 25 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय किसी भी ओ. एम. प्रकाश अग्रवाल से पहले घोषित टी. एच. आर. को प्रदान कर सकता है।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सभी मुकदमों (उनके मूल्य की परवाह किए बिना) की सुनवाई के लिए लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता, पट्टेदार द्वारा किसी इमारत के पट्टेदार को बेदखल करने के लिए

उसके पट्टे का निर्धारण।

18. प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 15 में, उप धारा (2) और (3) के लिए, निम्नलिखित को 1991 के यू. पी. अधिनियम 17 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

" (2) उस अनुसूची में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन और

तत्काल प्रवृत्त किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे, जिनका मूल्य पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है, लघु न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।

कारण;

बशर्ते कि पट्टेदार द्वारा पट्टे के निर्धारण के बाद किसी भवन से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए या पट्टे के जारी रहने के दौरान उसके कब्जे की अवधि के संबंध में उससे किराए की वसूली के लिए, या उसके उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे के लिए मुकदमों के संबंध में -

पट्टा के निर्धारण, इस उप-धारा में पाँच हजार रुपये के संदर्भ को एक संदर्भ के रूप में माना जाएगा -

बीस-पाँच हजार रुपये।

स्पष्टीकरण इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए 'भवन' अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो कला में है। (4) में

दूसरी अनुसूची।

19. अधिनियम की धारा 17 सिविल प्रक्रिया संहिता को उसके द्वारा संज्ञेय सभी मुकदमों और ऐसे सभी मुकदमों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों में लघु कारणों के न्यायालय पर लागू करती है। उत्तर प्रदेश सिविल कानूनों के अनुसार

(संशोधन) अधिनियम, 2015 डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015, धारा 19, बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 21 और प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 में संशोधन किया गया। अधिनियम में केवल चार धाराएँ हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं: -

" बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 और प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम में संशोधन के लिए एक अधिनियम

-1887 उत्तर प्रदेश में उनके आवेदन में। यह गणतंत्र के साठवें वर्ष में अधिनियमित किया गया है

भारत इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश नागरिक कानून कहा जा सकता है।

(संशोधन) अधिनियम, 2015,

(2) इसका विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश तक होगा।

अध्याय-II

बंगाल, आगरा और असम का संशोधन, दीवानी अदालत अधिनियम

1887 .

2. बंगाल, आगरा और असम, दीवानी न्यायालय अधिनियम-1887 इसके बाद

मुख्य अधिनियम के रूप में संदर्भित इस अध्याय में,

(ख) उप-धारा (2) में "पँचिश हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पाँच लाख रुपये" शब्द रखे जाएँगे। 3. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (1) में,

खंड (बी) (क) "एक लाख रुपये" शब्दों के लिए "पाँच लाख" शब्द

रुपये प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और (ख) "पाँच लाख रुपये" शब्दों के लिए "पच्चीस" शब्द हैं।

एक लाख रुपये प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अध्याय-III

प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 का संशोधन 4. प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 15 में,

1887 ,

(क) उप-धारा (2) में "पाँच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएँगे।

(ख) उप-धारा (2) के परंतुक में "पच्चीस हजार रुपये" शब्दों के लिए "एक लाख रुपये" शब्द होंगे -

प्रतिस्थापित "।

20. प्रांतीय लघु कारण न्यायालय 1887 में उपरोक्त संशोधन द्वारा लघु कारण न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की सीमा थीRs.25,000/- से 1 लाख रुपये तक।

द जज, स्मॉल कॉजेस कोर्ट ओम प्रकाश अग्रवाल ने तीन बार फैसला सुनाया। LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

उत्तर प्रदेश राज्य में वरिष्ठ-सबसे सिविल न्यायाधीश, जिले में काम कर रहे हैं। यद्यपि लघु कारण न्यायालय को 1 लाख रुपये के मूल्यांकन तक के मुकदमे का संज्ञान लेने का अधिकार था, तथापि 2010 का लघु कारण मुकदमा संख्या 1, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फिरोजाबाद के न्यायालय में लंबित था, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में आगे बढ़ता रहा। किसी भी पक्ष ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई, परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पक्षों को सुना और दिनांक 1 के फैसले द्वारा बेदखली और देय किराया और मुआवजे के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले से व्यथित किरायेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 के तहत एक संशोधन दायर किया।

21. उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए आधारों में से एक यह था कि उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 को ध्यान में रखते हुए,

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास 1 लाख रुपये तक के मूल्य के पट्टेदार और पट्टेदार के बीच मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है।

22. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई उपरोक्त दलीलों को स्वीकार कर लिया और लघु कारण न्यायालय के समक्ष नए निर्णय के लिए मुकदमे को वापस भेजकर संशोधन की अनुमति दी। सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग की अध्यक्षता में। उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित कारण दिए गए हैं:

2016 के एस. सी. सी. संशोधन में पारित दिनांक 29.08.2016, शोभित निगम बनाम श्रीमती. बटुलन और दूसरा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधन के परिणामस्वरूप, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 15 में, एक एस. सी. सी. मुकदमा जिसमें रुपये के बीच मूल्यांकन। 25,000 / - सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ) की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालय के समक्ष 1 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।

प्रभाग)। 1 लाख रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले मुकदमे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश के समक्ष होंगे।

लघु कारण न्यायालय का गठन करना। श्री सतेंद्र कुमार-I, जिन्होंने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है

आज अदालत में, प्रभावी रूप से खंडन करने में सक्षम नहीं है

संशोधनवादी के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। द.

एससीसी संशोधन की अनुमति है "।

23. अब हम वर्तमान अपीलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

आई. एस. यू. नंबर 1 और 2

24. उत्तर प्रदेश सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पहले, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय, 1887 की धारा 15 (2) के अनुसार, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होता है, पट्टेदार द्वारा वसूली के बाद पट्टे के निर्धारण के बाद इमारत से पट्टेदार को बेदखल करने के मुकदमों के संबंध में।

उससे किराए के बारे में, लघु कारण न्यायालय ने उन मुकदमों का संज्ञान लिया होगा जिनका मूल्य रुपये से अधिक नहीं है। 25,000 / - . मुकदमा Rs.21,175/- के मूल्यांकन के साथ दायर किया गया था। मुकदमा शुरू में सिविल जज, सीनियर डिवीजन, स्मॉल कॉज कोर्ट, फिरोजाबाद की अदालत में दायर किया गया था। वादी ने संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे मूल्यांकन को Rs.27,775/- तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद सूट था जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया और 2010 के S.C.C.Suit नंबर 1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

25. जवाब देने के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इसके बाद

07.12.2015 , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय, जहाँ विचाराधीन वाद लंबित था, के पास अभी भी यह निर्णय लेने के लिए आर्थिक अधिकारिता हो सकती थी कि वाद या वाद को सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग के न्यायालय में वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए था।

26. उच्च न्यायालय ने संशोधन की अनुमति देते हुए शोभित निगम बनाम मामले में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया है। और एक और (ऊपर)।

27. उपरोक्त मामले में भी छोटे कारणों के मुकदमे का मूल्यांकन Rs.44,000/- था और मुकदमा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में लंबित था, जिन्होंने यू. पी. सिविल लॉज़ (संशोधन) अधिनियम, 2015 के बाद मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। उच्च न्यायालय में एस. सी. सी. संशोधन दायर किया गया, वही तर्क दिया गया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उच्च न्यायालय ने प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के प्रावधानों पर ध्यान दिया और उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों और कारणों पर भी ध्यान दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ओम प्रकाश अग्रवाल में होने वाला वाक्यांश "संस्था" को हटा दिया गया है।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

उद्देश्य और कारण केवल दीवानी मुकदमों की स्थापना तक ही सीमित नहीं हैं और डब्ल्यू. ई. एफ. संशोधन के बाद, जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को 1 लाख रुपये से कम के मूल्यांकन वाले मुकदमों पर निर्णय लेने की कोई अधिकारिता नहीं हो सकती है और उनकी अधिकारिता केवल उन मामलों के संबंध में होगी जिनका मूल्यांकन 1 लाख रुपये से अधिक है। शोभित निगम के मामले में उच्च न्यायालय ने माना कि <ID1,000/- के मूल्यांकन वाले मुकदमे का निर्णय लेने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की धारणा अवैध है और फैसले को दरकिनार कर दिया। शोभित निगम के मामले में, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निर्णय की प्रति उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को आवश्यक अनुपालन के लिए वितरित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 15 (2) के प्रावधान के तहत आने वाले पट्टे के निर्धारण के बाद किसी इमारत से किराए और बेदखली के सभी लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

अधिकांश सिविल न्यायाधीश, जिले के वरिष्ठ प्रभाग, चाहे उनकी संस्था की तारीख कुछ भी हो।

28. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शोभित निगम के मामले का निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

और यह अभिनिर्धारित किया कि यू. पी. सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 केवल संभावित है प्रकृति में और केवल नए सूट के संस्थानों के संबंध में लागू था। लंबित मुकदमों में, जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास यू. पी. सिविल कानूनों के बाद भी 1 लाख रुपये के मूल्यांकन तक के छोटे कारणों के मुकदमों पर निर्णय लेने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र बना रहा।

(संशोधन) अधिनियम, 2015 ने डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015 को लागू किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2017 के एस. सी. सी. संशोधन दोषपूर्ण संख्या 76, संजय शर्मा उर्फ पिंटू बनाम में एक पूर्व निर्णय का उल्लेख किया। अनिल दुआ उर्फ टीटू ने 13.07.2017 पर निर्णय लिया, जहां विद्वान सिंगे जज ने शोभित निगम के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था।

29. जिन मुद्दों का जवाब दिया जाना है, उनमें से एक यह है कि क्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिसके साथ निवेश किया गया है उत्तर प्रदेश सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन के बाद लघु कारण न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अभी भी लघु कारण वाद डब्ल्यू. ई. एफ. 07.12.2015 पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता था, जो एक न्यायाधीश लघु कारण न्यायालय, यानी एक दीवानी न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो गया। उपरोक्त मुद्दे का जवाब देने के लिए, हमें लघु कारण न्यायालय अधिनियम की योजना का पता लगाने की आवश्यकता है।

में लागू होने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में कम बोझिल प्रक्रिया का पालन करके न्यायालयों द्वारा निपटान करने पर विचार किया गया था नियमित दीवानी अदालतें। 1972 के यू. पी. अधिनियम संख्या 37 द्वारा, पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने और व्यवसाय की अवधि के संबंध में किराए की वसूली के मामलों को भी छोटे कारणों से लिया गया था, जिन्हें प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की दूसरी अनुसूची के खंड (4) के संशोधन के बाद लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता था। 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 द्वारा बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 में किए गए संशोधन ने राज्य सरकार को किसी भी जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को "मुकदमों की सुनवाई के लिए" लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश की शक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया।

पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा उनके मूल्य की परवाह किए बिना। "उपरोक्त संशोधन आवश्यक था क्योंकि सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारणों का न्यायालय केवल पाँच हजार रुपये के मूल्य वाले छोटे कारणों के मुकदमों पर विचार कर सकता था। 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 के संशोधन के अनुसार, पांच हजार रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए मामलों का सिविल न्यायाधीशों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता था, जिन्हें ऐसे मामलों को उठाने के लिए लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नामित किया गया था। जब विधानमंडल ने किसी इमारत से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए सभी मुकदमों को "लघु कारण वाद" के रूप में माना, तो ऐसे मामलों को छोटे कारण के मामलों के रूप में तय करने के लिए एक मंच बनाया जाना था।

धारा 25 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "उनके मूल्य की परवाह किए बिना" को संशोधित किया गया है।

यह स्पष्ट इरादा था कि मूल्य की परवाह किए बिना, पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को बेदखल करने के लिए दायर किए गए मामलों को छोटे कारणों के मामलों के रूप में माना जाना चाहिए और इसे एक छोटे कारण के मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। बाद में

संशोधन, सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालयों को बीस-पाँच हजार रुपये तक के छोटे कारण के मामलों का निर्णय करने का अधिकार मिल गया और पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के खिलाफ बीस-पाँच हजार रुपये से अधिक के मामलों को अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जाना था। विधायी योजना में मामलों के बीच एक स्पष्ट द्वंद्व होता है, जिसे सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले छोटे कारणों के न्यायालयों और जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले छोटे कारणों के मामलों द्वारा संज्ञान लिया जा सकता था। विभाजन रेखा केवल पट्टेदार के खिलाफ पट्टेदार द्वारा मुकदमों से संबंधित छोटे कारणों के मामलों का मूल्यांकन था। पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के खिलाफ बेदखली से संबंधित छोटे मामलों पर निर्णय लेने के लिए जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त

जिला न्यायाधीश को सशक्त बनाने की आवश्यकता उपरोक्त इरादे से थी। विधानमंडल का कभी भी यह इरादा नहीं था कि ओम प्रकाश अग्रवाल से संबंधित सभी मामलों का फैसला किया जाए।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

किसी भी मूल्यांकन के पट्टेदार के खिलाफ पट्टेदार द्वारा मुकदमे किसी भी लघु कारण न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं।

31. यह सच है कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

लघु कारणों के रूप में कार्य करते हुए न्यायालय सभी मुकदमों का संज्ञान ले सकते हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। लेकिन "उनके मूल्य की परवाह किए बिना" शब्दों का उपयोग आर्थिक मूल्य के विपरीत था, जो उन्हें दिया गया था। सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालयों के न्यायाधीश। यह तथ्य कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सभी मुकदमों का संज्ञान ले सकते हैं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, छोटे कारणों के मामलों का संज्ञान लेने में दो अदालतों के बीच अलगाव की रेखा को कम या कमजोर नहीं करेगा। केवल यह तथ्य कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश असीमित मूल्य के मुकदमों का संज्ञान ले सकते हैं, उन्हें मामलों का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं देगा, जो वैधानिक योजना के अनुसार केवल सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता में छोटे कारणों की अदालतों द्वारा लिया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास उत्तर प्रदेश राज्य में लागू प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर था। एम. पी. मिश्रा बनाम का संदर्भ दिया गया है। संगम लाल अग्रवाल, आकाशवाणी 1975 इलाहाबाद 425। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा एक छोटे कारण के मुकदमे का फैसला किया गया था, जिसका मूल्यांकन पांच हजार रुपये से अधिक था। तर्क दिए गए कि छोटे कारण के मामले का मूल्यांकन पांच हजार रुपये से अधिक है, इसलिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मामले को छोटे कारण के मामले के रूप में तय नहीं कर सकते थे, बल्कि इसे एक सामान्य दीवानी मुकदमे के रूप में तय किया जाना चाहिए था। उपरोक्त संदर्भ में, 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 और 1973 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 के प्रावधान, जिसके द्वारा बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 को एक अन्य उप-धारा, अर्थात उप-धारा (4) जोड़कर संशोधित किया गया था और उपरोक्त संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर ध्यान दिया गया। पैराग्राफ संख्या। 5 को

8 , जो प्रासंगिक हैं वे इस प्रकार हैं:

" 5. 1973 के यू. पी. नागरिक कानून संशोधन अधिनियम द्वारा (राष्ट्रपति का

1973 का अधिनियम सं. 19) एक अन्य उप-धारा, अर्थात् उप-धारा (4) को धारा 25 में जोड़ा गया था। उक्त उप-धारा (4) इस प्रकार है:

" जहां लघु कारणों के न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता किसी जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को इस धारा के तहत अधिसूचना द्वारा प्रदान की जाती है, तो, किसी भी चीज के बावजूद। प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 में निहित उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सभी वाद लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।

1973 के उक्त अधिनियम की धारा 1 (3) के आधार पर यह माना जाएगा कि उक्त उप-धारा (4) 20 सितंबर, 1972 को लागू हुई थी, यानी उस तारीख को जिस दिन यू. पी. सिविल कानून संशोधन अधिनियम लागू हुआ था।

1972 में लागू हुआ।

6. जारी की गई कुछ अधिसूचनाएँ भी यहाँ देखी जा सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 4111 (8)/VII-A-580/72, दिनांक 22 सितंबर, 1972, उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 30-9-72, भाग I (पृष्ठ 5252), निम्नानुसार है:

" प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(1887 का अधिनियम IX) यू. पी. सिविल कानूनों द्वारा संशोधित

संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37) और सरकारी अधिसूचना संख्या 1 (8) 69 की निरंतरता में-न्याय

(के. ए.-II), दिनांक 23 सितंबर, 1969, राज्यपाल को निर्देश देते हुए खुशी हो रही है, जो दूसरे में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन है। प्रथम उल्लिखित अधिनियम की अनुसूची और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के उपबंधों के लिए, उक्त उप-धारा के परंतुक में निर्दिष्ट सभी वाद, जिनका मूल्य पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से न्यायाधीशों द्वारा संज्ञेय होंगे। छोटे कारण, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ और अतिरिक्त न्यायाधीश का न्यायालय, छोटे कारण, लखनऊ।

7. राज्य सरकार ने उसी दिन 22 सितंबर, 1972 को एक और अधिसूचना जारी की, जो उत्तर प्रदेश राजपत्र, भाग I, दिनांक 7 अक्टूबर, 1972 (पृष्ठ संख्या 5973) में प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार है:

" बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम) की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

1887 का बारहवाँ) उत्तर प्रदेश नागरिक कानूनों द्वारा संशोधित

(संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का यू. पी. अधिनियम संख्या 37) और इस संबंध में जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं के स्थान पर, राज्यपाल ने उक्त धारा के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय को सौंप दिया है।"

मैं प्रकाश अग्रवाल से पहले निर्णय लिया था। LRS.v। हान दयाल राजपूत और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

8. अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 25-10-1972 द्वारा उच्च न्यायालय ने सभी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को लघु कारणों के न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया।

प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम IX) के तहत, सभी मुकदमों (उनके मूल्य की परवाह किए बिना) के मुकदमे के लिए उक्त उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रकृति।

32. उच्च न्यायालय ने उत्तर के उद्देश्य और उद्देश्य पर भी ध्यान दिया

सिविल कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रीय जिला न्यायाधीश को पाँच हजार रुपये से अधिक के मामलों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। पैराग्राफ संख्या में। 11 और

ओलोइंग कहा गया था:

" 11. 1972 के यू. पी. नागरिक कानून संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन इस विचार से प्रेरित थे कि इमारतों के पट्टेदारों के खिलाफ पट्टेदारों द्वारा दायर बेदखली के मुकदमों पर अंततः निर्णय लेने में अनुचित रूप से लंबा समय लगा और,

लघु कारण न्यायालय अधिनियम वे ऐसे न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य बन गए। बेशक, के मूल्यांकन के कारण सीमा यह सीमा धारा 15 (2) और धारा 15 (3) में निहित थी। आम तौर पर, लघु कारण न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 500 करोड़ रुपये तक फैला हुआ था। 1,000 प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत। लेकिन धारा 15 (3) के तहत राज्य सरकार को इस तरह के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का अधिकार था। 5,000 पट्टेदारों और पट्टेदारों के बीच भवनों से उनकी किरायेदारी के निर्धारण के बाद उन्हें बेदखल करने के लिए मुकदमों के संबंध में। यह परिणाम यू. पी. सिविल लॉज़ [2018] 13 एस. सी. आर. द्वारा धारा 15 (3) में परंतुक को जोड़ने से आया था।

संशोधन अधिनियम, 1972। जैसा कि कहा गया है, राज्य सरकार ने सितंबर में एक अधिसूचना जारी की। 22 , 1972 , जिसके द्वारा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ में स्थित न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय और अतिरिक्त न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय, लखनऊ को पट्टेदारों और पट्टेदारों के बीच मुकदमों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया था। 5,000 . बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम की धारा 25 में उप-धारा (2) को जोड़ने के मद्देनजर जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को पट्टेदारों को बेदखल करने के मुकदमों की सुनवाई के लिए और पट्टेदारों की वसूली के लिए लघु कारणों के न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता प्रदान करना संभव हो गया। किराया और नुकसान (मामले के कुछ मामूली पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए)। ऐसी अधिकारिता जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को उपरोक्त द्वारा प्रदान की गई है।

इस न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25-10-1972।

12. उपरोक्त संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद जिले में (जहां से यह संशोधन उत्पन्न हुआ है) लघु कारणों के न्यायाधीश के न्यायालय को पट्टेदारों और पट्टेदारों के बीच इमारतों से बेदखली के संबंध में मुकदमों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र था, बशर्ते कि ऐसे मुकदमों का मूल्यांकन रुपये से अधिक न हो।

5,000 . यदि मूल्यांकन रुपये से अधिक है। 5,000 तब जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, जिन्हें ऐसे मुकदमों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह से मुकदमा चला सकते हैं जिस तरह से लघु कारण न्यायालय प्रकृति के मुकदमों का मुकदमा चलाया जाता है। धारा 25 (2) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र होगा।

ऊपर बताए गए विभिन्न प्रकार के मुकदमों के विचारण के लिए लघु कारणों के न्यायालय का, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। मेरे विचार में, यदि आवेदक की ओर से तर्क को स्वीकार किया जाता है तो यह उक्त अभिव्यक्ति के साथ हिंसा करना होगा। कोई भी व्याख्या जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा संज्ञेय मुकदमों के मूल्यांकन पर सीमा लगाने का प्रयास करती है, धारा 25 की उप-धारा (2) में उपयोग की गई स्पष्ट अभिव्यक्ति के विपरीत होगी, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। आवेदक के विद्वान वकील ने राजा सोप फैक्ट्री बनाम में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा। एस. पी. शांतराज [आकाशवाणी (1965) एस. सी. 1449। मेरे विचार में, उक्त घोषणा एम प्रकाश अग्रवाल के निर्णय का समर्थन नहीं करती है।

LRS.v। हान दयाल राजपूत और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

आवेदक की ओर से विवाद। वकील ने यू. पी. सिविल लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया द्वारा धारा 25 में जोड़ी गई उप-धारा (4) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करके अपने तर्क का समर्थन करने का भी प्रयास किया। 1973. उक्त उप-धारा (4) को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है और उसके अंतिम भाग में उपयोग किए गए शब्द "हैं। ... . सभी सूट

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट, लघु कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञेय होगा। यह आग्रह किया जाता है कि यदि विधायी इरादा यह होता कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिसे लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसे पट्टेदार और पट्टेदार के बीच उपरोक्त विभिन्न प्रकार के मुकदमों का संज्ञान लेना चाहिए, तो उप-धारा (4) के अंतिम भाग में विधायिका ने "लघु कारण न्यायालय" शब्दों का उपयोग नहीं किया होता, बल्कि "जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश" अभिव्यक्ति का उपयोग किया होता, वकील ने तर्क दिया कि प्रांतीय लघु कारण न्यायालय के तहत स्थापित लघु कारण न्यायालय और छोटे कारण न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियों के साथ निवेश किए गए अधिकारियों के बीच अंतर है। मेरी राय में यह तर्क मान्य नहीं है। माउंट में। सुखा वी। रघुनाथ (ए. आई. आर. 1917 ऑल। 62); डी. डी. विद्यार्थी बनाम राम प्यारे लाल (ए. आई. आर. 1935 ऑल 690); बादल चंद्र बनाम। श्रीकृष्ण डे (ए. आई. आर. 1929 कैल 354); भगवान दास बनाम। केशवर लाल (ए. आई. आर. 1923 पैट 49) और नारायण सीताराम बनाम। भागू [(1907) आई. एल. आर. 31 बम 314]] यह निर्धारित किया गया है कि वे न्यायालय जिन पर लघु कारण न्यायालय की शक्तियाँ हैं।

जिन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें छोटे कारणों के न्यायालय भी माना जाएगा। प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार निर्धारित करती है -

इसके अंतर्गतः

" इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो, "लघु कारणों का न्यायालय" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत गठित लघु कारणों का न्यायालय। और ऐसे किसी भी न्यायालय में इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है।

यह स्पष्ट है कि "छोटे कारणों का न्यायालय" अभिव्यक्ति की व्याख्या उस संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। मेरे विचार में, अभिव्यक्ति 'छोटे कारणों का न्यायालय' अंत में उपयोग की जाती है।

धारा 25 की उप-धारा (4) का वास्तव में अर्थ है और यह एक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को संदर्भित करता है जिस पर एक छोटे कारणों के न्यायाधीश को सम्मानित किया गया है।

33. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में उपरोक्त निर्णय वास्तविक मामलों का पालन किया है।

34. क्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को, वर्तमान मामले के तथ्यों में, छोटे कारणों के मुकदमों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र था

रुपये तक का मूल्यांकन। 1 लाख और अभी भी मुकदमे का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता था, जिसका मूल्यांकन रुपये से कम था। 1 एक लाख? हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के प्रावधान पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि सक्षम न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में मुकदमे दायर किए जाएंगे। कोशिश करने के लिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 इस प्रकार है:

" प्रत्येक मुकदमा सबसे निचले दर्जे के न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जो इसे चलाने के लिए सक्षम होगा।

35. धारा 15 का उद्देश्य स्पष्ट है कि भले ही एक से अधिक न्यायालयों को मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सिविल जज की अध्यक्षता में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में एक छोटे कारण का मामला शुरू किया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन रु। 1 आज की तारीख में एक लाख रुपये और रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले छोटे कारण के मुकदमे। 1 लाख जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अनुसार, रुपये से कम का मुकदमा। 1 सिविल जज की अध्यक्षता में लघु कारण न्यायालय में एक लाख रुपये का मूल्यांकन स्थापित किया जाना है। हालाँकि, जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास असीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन विधायी योजना के तहत, मुकदमे को जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाना है, जिसका मूल्यांकन रु। 1 एक लाख। भले ही सी. पी. सी. की धारा 15 एक प्रावधान है, जो मुकदमों की संस्था को विनियमित करती है और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है, धारा 15 के प्रावधान को प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 और बंगाल, आगरा, असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ते हुए, विधायी योजना स्पष्ट है कि छोटे कारण वाले मामलों को सिविल न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले लघु कारण न्यायालयों द्वारा रुपये के मूल्यांकन तक संज्ञान में लिया जाना चाहिए। 1 लाख और रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले मामले। 1 जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा, जिन्हें

लघु कारण न्यायालयों की शक्तियों के साथ निवेश किया गया। जब तक कि उपरोक्त

विधायी इरादे और योजना का पालन किया जाता है, भ्रम और असंगति होगी। विधायी प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जो अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ा सके। जब छोटे कारणों का संज्ञान लेने के संबंध में स्पष्ट द्विभाजन सूट सिविल जज की अध्यक्षता में और जिला

जज या अतिरिक्त जिला जज द्वारा प्रावधान किया गया है कि उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मामलों का संज्ञान लेने के लिए उक्त द्विभाजन और अलगाव का पालन किया जाना चाहिए।

कानून।

ओम प्रकाश अग्रवाल का निर्णय लिया गया। LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

36. पंकज होटल मामले (उपरोक्त) में, न्यायालय ने यह विचार रखा कि चूंकि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय,

छोटे कारणों की शक्ति के साथ निवेश किया गया है, न्यायालय के पास असीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र था, वे रुपये से कम के मूल्यांकन वाले छोटे कारणों के मुकदमों पर वैध रूप से निर्णय ले सकते हैं। 1 उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन के बाद भी हम उपरोक्त दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं। जब जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय नहीं कर सकता था

रुपये से कम के छोटे कारण वाले मुकदमों का संज्ञान लें। 1 एक लाख रुपये के मूल्यांकन पर, अब यह जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले लघु कारण न्यायालय की क्षमता में नहीं था कि वह रुपये से कम के मूल्यांकन के मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। 1 एक लाख। उचित पाठ्यक्रम

मुकदमों का फैसला करने के लिए मामलों को एक सक्षम अदालत के समक्ष स्थानांतरित करना था। यह एक अलग मामला है कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत जब रुपये से कम के मूल्यांकन के 07.12.2015 के बाद छोटे कारण के मुकदमों का फैसला करने के लिए आगे बढ़ती है। 1 सी. पी. सी. की धारा 21 ऐसी संभावना से निपटने के लिए है, जिसके बारे में हम इसके बाद अलग से विचार करेंगे और न ही किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई और न ही संशोधन की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।

37. पंकज होटल्स केस (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है जिन्हें इसके बाद भेजा जाएगा।

38. प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 का शीर्षक "लघु कारणों के न्यायालयों द्वारा मुकदमों का संज्ञान" है। धारा 15 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि लघु कारणों का न्यायालय दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मुकदमों का संज्ञान नहीं लेगा। लघु कारणों के न्यायालय के संज्ञान को छोड़कर। उप-धारा (2) (जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू होता है) में प्रावधान है कि नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमे जिनका मूल्य 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे लघु कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे। पट्टा के निर्धारण के बाद भवन से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए मुकदमों के संबंध में उप-धारा (2) के परंतुक के अनुसार, 5,000/- रुपये के संदर्भ को Rs.25,000/- के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। प्रावधान में मुख्य शब्द है "छोटे कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञानात्मक होगा"। 'छोटे कारणों के न्यायालय द्वारा संज्ञानात्मक' वाक्यांश का क्या अर्थ है?

39. 'कॉग्निजेंस' शब्द को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है:

[2018] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" संज्ञान

(1) एक अदालत का अधिकार और मामलों का प्रयास करने और निर्धारित करने की शक्ति; क्षेत्राधिकार,

(2) न्यायिक या आधिकारिक नोटिस लेना।

40. P.Ramanatha अय्यर द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश 'संज्ञान' को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करता है: -

" संज्ञानात्मकता। - न्यायिक सूचना या ज्ञान; न्यायिक

किसी कारण की मान्यता या सुनवाई; अधिकार क्षेत्र, या अधिकार

कारणों को निर्धारित करने का प्रयास करें। यह सबसे बड़ा शब्द है

"संज्ञान" शब्द का उपयोग "किसी कारण पर ध्यान देने और उसे निर्धारित करने के अधिकार" के अर्थ में किया जाता है। संज्ञान लेना नहीं है इसमें कोई औपचारिक कार्रवाई, या वास्तव में किसी भी प्रकार की कार्रवाई शामिल है, लेकिन यह उसी समय होता है जब एक मजिस्ट्रेट, इस तरह, अपने दिमाग को लागू करता है

एक अपराध के संदिग्ध अपराध "।

41. इस न्यायालय को (2004) 2 एस. सी. सी. 349, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम M.P.Gupta में 'संज्ञान' अभिव्यक्ति पर विचार करने का अवसर मिला था।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी में दी गई 'कॉग्निजेंस' शब्द की परिभाषा को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। फैसले के पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित कहा गया था:

" 10 .... ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार "संज्ञान" शब्द का अर्थ है "अधिकार क्षेत्र" या "अधिकार क्षेत्र का प्रयोग" या "कारणों का प्रयास करने और निर्धारित करने की शक्ति"। में।

सामान्य बोलचाल, इसका अर्थ है ध्यान देना। इसलिए, एक अदालत को शिकायत पर विचार करने या नोटिस लेने से रोक दिया गया है।

इसका या अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यदि यह एक लोक सेवक के संबंध में है जिस पर कथित रूप से किए गए अपराध का आरोप है

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रतिबद्ध।

42. प्रांतीय लघु की धारा 15 (2) के वैधानिक प्रावधान

कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 "लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। 'संज्ञानात्मक' शब्द व्यापक महत्व का शब्द है। यह एक संज्ञेय मामले की सुनवाई और निर्णय को अपने दायरे में लेता है। इसके द्वारा। पंकज होटल्स मामले में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों के बयान को नोट किया था और "संस्थान के लिए" शब्द पर जोर दिया था और निष्कर्ष निकाला था कि संशोधन प्रकृति में संभावित है और केवल ओम प्रकाश अग्रवाल के मामलों पर लागू होता है।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

और संशोधन के बाद अपील की जा रही है। जब कानून में सादा शब्द अर्थात धारा 15 (2) "संज्ञेय" शब्द का उपयोग करता है कि क्या "उद्देश्यों और कारणों के बयान" जो "संस्था" शब्द का उपयोग करते हैं, कम हो जाएंगे, तो धारा 15 (2) में उपयोग किया गया शब्द "संज्ञेय" होगा। उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित प्रभाव से है: -

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण
जहां अदालतों में लाए गए विषयों का मूल्य काफी बढ़ गया है, वहीं आर्थिक अधिकार क्षेत्र

सिविल मुकदमों और अपीलों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में सिविल न्यायालयों के साथ-साथ लघु कारण न्यायालयों के मामलों को उठाने की आवश्यकता है। इसलिए बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, 1887 और प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

दीवानी न्यायालयों और छोटे न्यायालयों की आर्थिक अधिकारिता

बेहतर सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कारण न्यायालय

न्याय प्रशासन।

उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 उसी के अनुसार पेश किया गया है।

43. यह सच है कि उद्देश्यों के बयान में देखा गया है कि न्यायालयों में लाए गए विषय मामलों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए, दीवानी न्यायालयों के साथ-साथ लघु कारणों के न्यायालयों की आर्थिक अधिकारिता में भी वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश राज्य को नागरिक संस्था के लिए खड़ा करने की आवश्यकता है

मुक़दमे और अपीलें। इस संशोधन ने प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 में आर्थिक सीमाओं को बढ़ा दिया है। उद्देश्यों और कारणों का कथन आर्थिक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का कारण बताता है लेकिन उद्देश्य के कथन में 'संस्था के लिए' शब्द का उपयोग व्यक्त भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। वैधानिक प्रावधानों का।

44. एस. एस. बोला बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। बी. डी. सरदाना, (1997) 8 एस. सी. सी. 522 ने माना है कि क़ानून के उद्देश्यों और कारणों के बयान को केवल विधायी इरादे का पता लगाने के लिए बाहरी सहायता के रूप में देखा जा सकता है जब क़ानून का अर्थ इसकी सामान्य भाषा से अस्पष्ट और अस्पष्ट हो। पैराग्राफ 176 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था: -

" 176 ..... लेकिन यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि किसी कानून के उद्देश्यों और कारणों का विवरण [2018] 13 एस. सी. आर. देखा जाना है।

विधायी आशय का पता लगाने के लिए एक बाहरी सहायता के रूप में केवल तभी उपयोग किया जाता है जब क़ानून का अर्थ उसकी सामान्य भाषा से अस्पष्ट या अस्पष्ट हो। लेकिन यदि किसी क़ानून में उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं तो क़ानून स्वयं विधानमंडल के इरादे की घोषणा करता है और ऐसे मामले में अदालत को क़ानून के उद्देश्यों और कारणों के विवरण की जांच करके क़ानून की व्याख्या करने की अनुमति नहीं होगी।

सवाल करते हैं।

45. सुभाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एस. सी. सी. 506 में, इस न्यायालय ने फिर से निर्धारित किया कि उद्देश्यों और कारणों के बयान को उस समय प्रचलित स्थिति का पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए देखा जा सकता है जिसने विधेयक के प्रस्ताव को उसी और समाज की मौजूदा बुराई की सीमा को पेश करने के लिए प्रेरित या सक्रिय किया। इसके अलावा, भाईजी बनाम उप-मंडल अधिकारी, (2003) 1 एस. सी. सी. 692 में, इस अदालत ने पैराग्राफ 11 में वैधानिक व्याख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों को फिर से दोहराया:

" 11. पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती को समझने के लिए उद्देश्यों और कारणों के कथन का संदर्भ स्वीकार्य है।

मामलों की स्थिति, क़ानून के संबंध में आसपास की परिस्थितियाँ, और वह बुराई जिसे क़ानून सुधारना चाहता था। न्यायिक प्राधिकरण का भार इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उपयोग विधानमंडल द्वारा किसी कानून का मसौदा तैयार करने में प्रयुक्त भाषा के सरल अर्थ को प्रतिबंधित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है और इस तरह के लेनदेन को इसके संचालन से बाहर रखा जा सकता है।

जिसे यह स्पष्ट रूप से कवर करता है। (वैधानिक सिद्धांतों को देखें

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा व्याख्या, 8 वीं संस्करण। , 2001 , पीपी। 206

09.) "

46. उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के उद्देश्य का विवरण इस प्रकार संशोधन लाने का कारण बताता है -

आर्थिक अधिकारिता को बढ़ाना लेकिन 'संस्था' शब्द का उपयोग

उद्देश्य का कथन धारा 15 की व्यक्त भाषा को नियंत्रित नहीं करेगा। धारा 15 में प्रयुक्त 'संज्ञान' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें मामले की संस्थागत सुनवाई और निर्णय शामिल होंगे। जब कानून यह प्रावधान करता है कि किसी विशेष न्यायालय द्वारा विशेष कारण का संज्ञान लिया जाना है, तो कोई

अन्य न्यायालय इस कारण का संज्ञान नहीं ले सकता है, क्योंकि विधायिका कभी भी किसी कारण का संज्ञान लेने के लिए दो अलग-अलग न्यायालयों में समानांतर अधिकार क्षेत्र का निर्माण या प्रावधान नहीं करती है। जब धारा 15 में यह प्रावधान किया गया है कि ओम प्रकाश अग्रवाल के सभी मुकदमों का फैसला किया गया है।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

सिविल प्रकृति जिसका मूल्य Rs.25,000/- से अधिक नहीं है, "लघु कारणों के न्यायालयों द्वारा संज्ञेय होगा", संज्ञान उसी न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और कोई अन्य न्यायालय नहीं।

47. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उप-धारा (2) के परंतुक में प्रावधान है कि 5,000/- रुपये का अर्थ Rs.25,000/- किया जाएगा। यू. पी. सिविल कानूनों द्वारा

(संशोधन) अधिनियम, 2015 में, Rs.25,000/- का आंकड़ा 1 लाख रुपये से प्रतिस्थापित किया गया था। परंतुक के साथ पठित उप-धारा (2) और यू. पी. सिविल कानून (संशोधन अधिनियम), 2015 को पढ़ने का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि 1 लाख रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाले लघु कारण वाद लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे। जब एक लाख रुपये से अधिक मूल्य का लघु कारण मुकदमा लघु कारण न्यायालय द्वारा संज्ञेय है, तो जाहिर है, कोई अन्य अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिनके खिलाफ छोटे कारण मुकदमा करते हैं

प्रश्न हस्तांतरित किया गया था क्योंकि इसका मूल्यांकन Rs.25,000 से अधिक था/यू. पी. सिविल कानूनों के बाद मुकदमे का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं था। (संशोधन अधिनियम), 2015 w.e.f.07.12। 2015 , जब विचाराधीन वाद लघु कारण न्यायालय अर्थात सिविल न्यायाधीश न्यायालय, वरिष्ठ प्रभाग द्वारा संज्ञेय हो गया। उपरोक्त सीमा तक, शोभित निगम के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को अनुमोदित किया जाना है और पंकज होटल्स (सुप्रा) में एकल न्यायाधीश के फैसले में कहा गया है कि 07.12.2015 के बाद भी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास विचाराधीन मुकदमे का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र था, जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

48. हम आगे देखते हैं कि पंकज होटल मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने शोभित में विद्वान एकल न्यायाधीश के पहले के दृष्टिकोण को देखा है।

निगम का मामला, और उनकी राय है कि निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है, एकल न्यायाधीश के लिए उपयुक्त मार्ग खुला था मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेजें। उच्च न्यायालय के निर्णयों पर राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भरोसा किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। विभिन्न विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा परस्पर विरोधी विचार देने के बजाय उच्च न्यायालय द्वारा एक आधिकारिक राय द्वारा निश्चितता प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है जो वादियों, वकीलों और अधीनस्थ अदालतों को कानून लागू करने में भ्रमित कर सकते हैं।

इश्यू नंबर 3

49. यह अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण है कि

भले ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 22.10.2016 पर छोटे कारणों के मुकदमे का फैसला करने में सक्षम नहीं था, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को देखते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का फैसला पुनरीक्षण अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। [2018] 13 एस. सी. आर. संहिता की धारा 21।

सिविल प्रक्रिया अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 इस प्रकार है:

" 21. अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियाँ। — [(1)] मुकदमा करने के स्थान के बारे में किसी भी आपत्ति की अनुमति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर पहली बार के न्यायालय में नहीं ली गई थी और उन सभी मामलों में जहां ऐसे समझौते पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है, और

जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हुई हो।

[(2) अपनी अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं के संबंध में किसी न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति जल्द से जल्द संभव अवसर पर पहली बार के न्यायालय में नहीं ली गई थी, और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा किया जाता है, ऐसे समझौते पर या उससे पहले, और जब तक कि

न्याय की विफलता।

(3) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के संबंध में निष्पादन न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा न हो।

निष्पादन न्यायालय में जल्द से जल्द संभव अवसर पर आपत्ति ली गई थी, और जब तक कि कोई परिणाम न हुआ हो

न्याय की विफलता।] "

50. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में अंतर्निहित नीति यह है कि जब किसी अदालत द्वारा मामले की सुनवाई गुण-दोष और दिए गए निर्णय के आधार पर की जाती है, तो इसे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर उलट दिया जाना चाहिए, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हो। धारा 21 के समान प्रावधान वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में भी निहित हैं। इस न्यायालय को ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 340, किरण सिंह बनाम में धारा 21, सिविल प्रक्रिया संहिता और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 के पीछे के सिद्धांत पर विचार करने का अवसर मिला था। चमन पासवान। फैसले के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था: -

" 7 ..... सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और 99 और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 में अंतर्निहित नीति है -

समान, अर्थात्, कि जब किसी मामले की सुनवाई किसी न्यायालय द्वारा गुण-दोष और दिए गए निर्णय के आधार पर की गई थी, तो उसे विशुद्ध रूप से तकनीकी आधारों पर उलट दिया जाना चाहिए, जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो, और विधानमंडल की नीति ओम प्रकाश अग्रवाल ने पहले ही निर्णय ले लिया हो।

LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

दोनों क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के लिए आपत्तियों का इलाज करना है और आर्थिक रूप से तकनीकी और अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार के लिए खुला नहीं है, जब तक कि गुण-दोष पर कोई पूर्वाग्रह न हो। इसलिए, अपीलार्थियों का यह तर्क कि जिला न्यायालय, मोंघिर की डिक्री और निर्णय को अमान्य माना जाना चाहिए, वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत कायम नहीं किया जा सकता है।

51. उक्त अपील में उठाई गई एक और दलील पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा दायर करने वाले अपीलार्थी का एक निवेदन यह था कि संशोधित मूल्यांकन के अनुसार, अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री के खिलाफ अपील जिला न्यायालय के समक्ष नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में रखी गई थी, इसलिए अपील में जिला न्यायाधीश के फैसले को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय में अपील को पहली अपील के रूप में माना जाए। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को उपरोक्त तरीके से पूर्वाग्रहित किया गया है। उपरोक्त दलीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 11 और 12 में निम्नलिखित निर्धारित किया:

" 11 ..... यह तर्क एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। अपील का अधिकार निस्संदेह एक मूल अधिकार है, और इसका वंचित होना एक गंभीर पूर्वाग्रह है; लेकिन अपीलकर्ताओं को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है।

कानून उस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील प्रदान करता है, और वादी ने उस अधिकार का प्रयोग किया है। वास्तव में, अवमूल्यन ने अपीलार्थियों के अपील करने के अधिकार को बढ़ा दिया है, क्योंकि हालाँकि उन्हें केवल एक अपील का अधिकार होता और उच्च न्यायालय का अधिकार होता यदि वाद को सही ढंग से महत्व दिया गया होता, लेकिन अवमूल्यन के कारण उन्होंने दो अपीलों का अधिकार प्राप्त किया, एक जिला न्यायालय और दूसरी उच्च न्यायालय में। की शिकायत

अपीलार्थी वास्तव में यह नहीं है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील के अधिकार से वंचित थे, जो

उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ तथ्यों पर अपील की सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की गई थी, न कि उच्च न्यायालय द्वारा। अतः यह आपत्ति इस बात के बराबर है कि अपील के मंच में परिवर्तन अपने आप में इस उद्देश्य के लिए पूर्वाग्रह का विषय है।

वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11।

12. इसलिए, सवाल यह है कि क्या किसी अदालत द्वारा अपील पर एक डिक्री पारित की जा सकती है, जिसे केवल इस कारण से विचार करने का अधिकार क्षेत्र था

अवमूल्यन, इस आधार पर अलग रखा जाए कि एक सही मूल्यांकन पर कि न्यायालय अपील पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं था?

अदालतों ने इस मामले पर पूर्ण पीठों में विचार किया है, और आ गए हैं

इस निष्कर्ष पर कि केवल मंच का परिवर्तन एक पूर्वाग्रह नहीं है

वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के अर्थ के भीतर। वीडियो

केलु अच्चन बनाम। चेरिया पार्वती नेथियार मूल चंद बनाम। राम।

किशन और रामदेव सिंह बनाम। राज नारायण। हमारे निर्णय में,

इन निर्णयों में व्यक्त की गई राय सही है।

" 9

52. उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय ने आकाशवाणी में दोहराया है।

2) एससी 199, हीरालाल बनाम कालीनाथ और एआईआर 1963 एससी 634, बहरीन

लियम कंपनी बनाम P.J.Pappu और दूसरा।

53. यह अदालत (1993) 2 एस. सी. सी. 130, R.S.D.V. वित्त कंपनी

सीमित बनाम श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड ने फिर सेसिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को निरस्त कर दिया। पैराग्राफ 7 में

, निम्नलिखित निर्धारित किया गया है: -

“ 7 .... यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश

मुकदमे की सुनवाई करते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि बॉम्बे कोर्ट

मुक़दमे पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था। उप-खंड

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में प्रावधान है कि

अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय जब तक कि ऐसी आपत्ति नहीं ली गई थी जल्द से जल्द संभव अवसर पर पहली बार की अदालत में

और उन सभी मामलों में जहां मुद्दों को ऐसे समय या उससे पहले सुलझा लिया जाता है

निपटान और जब तक कि परिणामी विफलता नहीं हुई है

न्याय। उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि

मुकदमा करने के स्थान के बारे में आपत्ति की अनुमति दी जाएगी

निम्नलिखित के अधीन अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय शर्तें:

((i)

कि इस तरह की आपत्ति पहले की अदालत में ली गई थी

जल्द से जल्द संभव अवसर पर उदाहरण;

उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा किया जाता है, तब या उससे पहले

((ख)

इस तरह के मुद्दों का समाधान;

परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

(iii)

8. वर्तमान मामले में हालांकि पहली दो शर्तें हैं -

संतुष्ट लेकिन न्याय की विफलता की तीसरी शर्त नहीं है

पूरा हुआ। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कोई विवाद नहीं था।

दावे के गुण-दोष के बारे में। अभियुक्त ने स्वीकार किया है

वादी द्वारा रुपये 10,00,000 जमा करने के साथ-साथ 1 प्रकाश अग्रवाल का निर्णय लिया गया।

LRS.v। हान दयाल राजपूत और एएनआर। [अशोक भूषण, जे।]

पाँच चेक जारी करना। इस प्रकार हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की डिक्री देकर प्रतिवादी को न्याय देने में कोई विफलता नहीं है, इसके विपरीत यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा और वादी को न्याय देने में विफलता होगी।

प्रभाग द्वारा अनुमत अधिकारिता को बनाए रखा जाना है

उच्च न्यायालय की पीठ अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में "।

54. (2005) 7 एस. सी. सी. 791, हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डी. एल. एफ. इर्सल लिमिटेड में, इस अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और अन्य धाराओं पर फिर से विचार किया था। पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित है -निर्धारित किया गया: -

" 30 ..... न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं (i) क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकार क्षेत्र; (ii) आर्थिक अधिकार क्षेत्र; और (iii) विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र। जहाँ तक क्षेत्रीय और

आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधित हैं, इस तरह की आपत्ति

अधिकारिता को जल्द से जल्द संभव अवसर पर और किसी भी मामले में मुद्दों के समाधान पर या उससे पहले लिया जाना चाहिए। कानून इस बिंदु पर अच्छी तरह से तय है कि यदि इस तरह की आपत्ति को जल्द से जल्द नहीं लिया जाता है, तो इसे बाद में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

स्टेज। हालाँकि, विषय-वस्तु के रूप में अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अलग है और एक अलग आधार पर खड़ा है। जहां कानून, चार्टर या आयोग द्वारा लगाई गई किसी सीमा के कारण मुकदमे के विषय-वस्तु पर किसी न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वह कारण या मामले को नहीं ले सकता है। एक अदालत द्वारा पारित एक आदेश जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, एक अमान्य है।

55. पुन: (2007) 13 एस. सी. सी. 650, सुभाष महादेव हबीब मासा अंबासा धर्मदास में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र की कमी और क्षेत्रीय और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति है। इस न्यायालय ने वर्ष 1976 में धारा में किए गए संशोधनों पर ध्यान दिया। पैराग्राफ 34,37 और 41 में निम्नलिखित कहा गया था:

" 34. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में किसी भी आपत्ति की अनुमति किसी अपीलीय द्वारा भी नहीं दी जा सकती है।

या पुनरीक्षण न्यायालय जब तक कि ऐसी आपत्ति में नहीं ली गई थी जल्द से जल्द संभव अवसर पर और जब तक कि न्याय की परिणामी विफलता न हुई हो। 1976 में, मौजूदा खंड को उप-धारा (1) और उप [2018] 13 एस. सी. आर. के रूप में क्रमांकित किया गया था।

धन संबंधी अधिकारिता से संबंधित धारा (2) को यह प्रावधान करके जोड़ा गया था कि न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति नहीं

इसकी अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं का संदर्भ होगा - किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अनुमत जब तक कि ऐसा न हो

सबसे पहले संभव अवसर पर आपत्ति ली गई थी और जब तक कि कोई परिणाम न हुआ हो।

न्याय की विफलता।

37. जैसा कि देखा जा सकता है, 1976 के संशोधन अधिनियम 104 ने आर्थिक अधिकारिता से संबंधित उप-धारा (2) को पेश किया और इसे क्षेत्रीय अधिकारिता पर आपत्ति और उस संबंध में आपत्ति उठाने की क्षमता के बराबर रखा, यहां तक कि उसी डिक्री से अपील में भी। यह स्पष्ट रूप से संहिता की धारा 21 पर दी गई व्याख्या के आलोक में किया गया था। जैसा कि यह मौजूद था और किरण सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11। चमन पासवांस के बाद हीरालाल पटनी बनाम। काली नाथ 6 और बहरीन पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड बनाम। पी. जे. पप्पु 4. इसलिए, धारा 21-ए में आने वाली "मुकदमा करने के स्थान के रूप में आपत्ति" अभिव्यक्ति को केवल क्षेत्रीय अर्थ में आपत्ति तक सीमित होने के रूप में समझने में कोई औचित्य नहीं है, न कि आर्थिक अर्थ में। विशेष रूप से संशोधन अधिनियम द्वारा लाई गई धारा 21 में संशोधन के संदर्भ में दोनों को आपत्ति के रूप में समझा जा सकता है।

मुक़दमा दायर करने के स्थान पर।

41. उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि 1971 के ओएस नंबर 61 पर मुकदमा चलाने वाले न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति उस डिक्री के खिलाफ अपील में भी सफलतापूर्वक नहीं उठाई जा सकती थी, जब तक कि इसे जल्द से जल्द नहीं उठाया गया था।

अवसर और न्याय या पूर्वाग्रह की विफलता दिखाई गई। जाहिर है, इसलिए इसे संपार्श्विक रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

वह भी वादी द्वारा नहीं, बल्कि एक प्रतिवादी द्वारा जिसका

वादी द्वारा अलगाव को असफल रूप से चुनौती दी गई थी वह सूट "।

56. इस मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के दिनांक 1 के निर्णय से यह स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष द्वारा निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की क्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति नहीं ली गई है, धारा 21 सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है।

धारा 21 की उप-धारा (2) ओम प्रकाश अग्रवाल निर्णय से पहले। LRS.v। विशाण दिवस राजपूत और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

यह उपबंध करता है कि अधिकारिता की आर्थिक सीमाओं के संबंध में न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुमत नहीं की जाएगी जब तक कि उसमें उल्लिखित शर्तें न हों।

पुनरीक्षण न्यायालय को इस संबंध में ऐसी आपत्ति की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी वाद पर निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय की क्षमता। द.

प्रत्यर्थी किरायेदार ने क्षमता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई न्यायालय और गुण-दोष के आधार पर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का अवसर लेते हुए, उसे पलटने और यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय को लघु कारण मुकदमे का मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और

निर्णय अधिकारिता और शून्यता के बिना है। धारा 21 अधिनियमित की गई है।

असफल पक्ष द्वारा ऐसी किसी भी आपत्ति को विफल करने के लिए जिसने अदालत की क्षमता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई और मामले को अनुमति दी

गुण-दोष पर सुना जाए। इसके अलावा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा छोटे कारण के मुकदमे का निर्णय लेने में, किरायेदार ने यह साबित नहीं किया है कि न्याय की परिणामी विफलता हुई है।

57. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को स्वीकार नहीं किया है। शोभित के निर्णय में

58. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का एक और निर्णय है जिसे प्रतिवादी के विद्वान वकील यानी एस. सी. सी. संशोधन द्वारा संदर्भित किया गया है। 2016 का No.305, तेजुमल बनाम मोहम्मद। सरफराज, 2017 (121) एएलआर 392। उपरोक्त मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ धारा 25 के तहत संशोधन की अनुमति इस आधार पर दी थी कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर था। फैसले के पैराग्राफ 6 में, उच्च न्यायालय ने R.S.D.V में इस अदालत के फैसले पर ध्यान दिया था।

कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 (1) को ध्यान में रखते हुए, मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में आपत्ति संबंधित पक्ष द्वारा जल्द से जल्द संभव अवसर पर न्यायालय में ली जानी चाहिए और इस आशय की आपत्ति को अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन किरण सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाएगा।

विद्वान एकल न्यायाधीश चमन पासवान ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकार क्षेत्र के दोष, चाहे आर्थिक या क्षेत्रीय या विषय वस्तु, को ठीक नहीं किया जा सकता है और कार्यवाही के किसी भी चरण में स्थापित किया जा सकता है।

सिंह का मामला और न ही R.S.D.V. फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के साथ जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नोट और संदर्भित किया गया है। धारा 21 विधायी नीति की वैधानिक मान्यता है जिसे किसी प्रतिकूल निर्णय को चुनौती देने वाले वादियों द्वारा नजरअंदाज या अनुमति नहीं दी जा सकती है। 60. इस प्रकार हमारा विचार है कि तेजुमल बनाम मोहम्मद में विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण। सरफराज ने सही कानून नहीं बनाया है और

61. पूर्वगामी चर्चा में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने एस. सी. सी. द्वारा दायर संशोधन को अनुमति देने में त्रुटि की है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को ध्यान में रखे बिना प्रतिवादी किरायेदार।

62. इस प्रकार हमारा मानना है कि जब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत इस आधार पर लघु कारणों के मुकदमे का फैसला करने में सक्षम नहीं थी कि आर्थिक अधिकार क्षेत्र लघु कारणों के न्यायालय यानी सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग डब्ल्यू. ई. एफ. में निहित है, तब भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के प्रावधानों को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

63. नतीजतन, अपीलों की अनुमति दी जाती है। 07.12.2016 दिनांकित उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी